फाइल नं0-71-3099/460/2021-03

63/2023/I/312776/2023

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
फिरोजाबाद।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 09 मई, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद से सम्बद्ध चिकित्सालय परिसर के स्थल विकास कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एफजैडडी/2023-24/32, दिनॉक 06.04.2023 के संदर्भ में अवगत कराना है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद से सम्बद्ध चिकित्सालय परिसर के स्थल विकास कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 908.20 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 150.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या–02/2022/ई-1965615/71-3099/460/2021-03, दिनॉक 04.01.2022 द्वारा निर्गत की गयी है। तदोपरान्त शासनादेश संख्या–8/2023/ई262145//71-3099/460/2021-03, दिनॉक 16.01.2023 द्वारा रू0 125.16 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक कुल रू0 275.16 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद से सम्बद्ध चिकित्सालय परिसर के स्थल विकास कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज फिरोजाबाद हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 लाख के सापेक्ष रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियाँ सुनिश्चित किये जाने का दायित्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्य/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है किसी अन्य कार्यों/मदो पर धनराशि का अव्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
4. चालू वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत कार्य मदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यांकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. प्रायोजना में प्रस्तावित कार्य/स्थापना कार्य की डुप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिचित किया आयेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7. यदि प्रायोजना की लागत में कमी आती है तो अवशेष धनराशि राजकीय कोष में प्रधानाचार्य/वित्त अधिकारी द्वारा जमा कराया जायेगा।
8. शासनादेश संख्या- 02/2022/ई-1965615/71-3099/460/2021-03, दिनॉक 04.01.2022 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 2,00,00,000 (रूपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031058200 मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद मानक मद 24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव

संख्याः-उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।